न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **03/2018 प्रा.पत्र रसद**

श्री कैलाशचन्द्र पिता चुन्नीलाल खटीक, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, उचित मुल्य दुकानदार चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक मावली

.....अप्रार्थी

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, उदयपुर मु.नं. कमांक एफ. 32 ( )/रसद/प्रकरण–2018/7 तारीख आदेश 22.02.2018 अन्तर्गत क्लॉज–22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थित– 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री विजयसिंह प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–20.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने आदेश एफ. 32( )/ रसद/ प्रकरण 2018/7 तारीख आदेश 22.02.2018 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपने अपील मेमो में निवेदन किया कि अपीलान्ट उचित मुल्य का दुकानदार चंगेड़ी का प्राधिकारपत्रधारी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस में किसी ने प्रार्थी के खिलाफ कोई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित करने की कोई सूचना भी

प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि अपीलान्ट जेल के अन्दर था तथा उसे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला था। अपीलान्ट के खिलाफ किसी ने आई पी सी के तहत गलत एफआईआर दर्ज कराने के कारण अपीलान्ट को अरेस्ट कर लिया गया तथा वह दिनांक 13.04.18 को जेल से छुटा था तथा छुटते ही वह उचित मुल्य का सामान लेने के लिये बिल कटाने हेतु डी.एस.ओ. ऑफिस पहुॅचा तो उसे बताया गया कि आपका प्राधिकार पत्र तो दो माह पूर्व निरस्त कर दिया गया हैं। आप इसकी अपील कर बहाल करावें तो अपीलान्ट ने उसी समय नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल मिलते ही यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय व विधि के विपरीत होकर काबिल निरस्त के हैं। अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये बिना अपीलान्ट को सुने एकतरफा आदेश पारित कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होकर काबिल निरस्त के हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध जानबुझकर आई पी सी के झुठे मुकदमो में फसाया गया है तथा उसे जेल भेज दिया गया। पीछे से कोई व्यक्ति जमानत कराने वाला नहीं था। अपीलान्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के किसी भी क्लॉज का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। वितरण व्यवस्था के संबंध में अपीलान्ट की कभी कोई शिकायत नहीं रही हैं। अपीलान्ट का ऐसा कोई कृत्य नहीं रहा है जो लाईसेंस क्लॉज 8 में उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सके। अपीलान्ट ने ना तो कोई अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कारीत किया है ना उसका अपराध करने का कोई उद्धेश्य ही था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए जो आदेश पारित किया है वह बिल्कुल गलत होकर काबिले निरस्त हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल रखाये जाने के आदेश प्रदान कराया जावें।

अपनी अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद कण्डोन कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी पहली बार जेल से दिनांक 13.04.18 को छुटा तथा छुटते ही दिनांक 14–15 की छुट्टी होने से दिनांक 16.04.18 को डीएसओ ऑफिस मे उचित मुल्य का सामान प्राप्त करने के लिये आया तो उसे बताया गया कि उसका लाईसेन्स ही निरस्त कर दिया गया है तथा उसने लाईसेन्स निरस्ती की नकल लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल मिलते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। अतः न्यायहीत में दिनांक 22.02.18 से दिनांक 16.04.18 तक का समय कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मियाद हाने के आदेश प्रदान कराये जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। उपखण्ड अधिकारी मावली से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी उचित मुल्य दुकान चंगेड़ी का प्राधिकार पत्र धारी हैं। अपीलान्ट के खिलाफ किसी के द्वारा झुठी आई पी सी के तहत एफ आई आर दर्ज कराने के कारण अपीलान्ट को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। कोई जमानत देने वाला नहीं होने से दिनांक 13.04.18 को जेल से छुटा। जेल से छुटते ही वह उचित मुल्य का सामान लेने के लिये बिल कटवाने हेतु डीएसओ ऑफिस पहुॅचा तो उसे बताया गया कि उसका प्राधिकार पत्र दो माह पूर्व निरस्त कर दिया गया हैं। प्राधिकार पत्र सस्पेंड या निरस्ती का कोई भी नोटिस अपीलार्थी को नहीं मिला। अपीलार्थी को बिना सुने ही अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि राजस्थान

खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 (2) के अनुसार प्राधिकार पत्र रद्धकरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जावेगा जब तक की प्राधिधारक को प्रस्तावित रद्धकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान ना कर दिया गया हो। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलान्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के किसी भी क्लॉज का उल्लंघन नहीं किया हैं। नाही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई अपराध कारीत किया हैं। ना उसका अपराध करने का कोई उद्धेश्य ही था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिले निरस्त हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि सर्वप्रथम अपीलान्ट के अरेस्ट की सूचना प्रवर्तन निरीक्षक मावली को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार से मिली कि डिलर के विरूद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज होकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया हैं। जिससे सेन्टर चंगेड़ी बी की तत्काल प्रभाव से निलम्बन की अनुषंशा के साथ वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ताकि सेन्टर से लगे उपभोक्ताओं को नियंत्रित दर पर मिलने वाली राशन सामग्री नियमित रूप से मिलती रहे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय से उचित मुल्य दुकानदार को दिनांक 12.04.16 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसे उसके भाई रमेशचन्द्र खटीक द्वारा प्राप्त किया गया। जिसमें भी उसने यह लिखा कि कैलाशचन्द्र के जेल में होने से नोटिस की प्रति प्राप्त की। लम्बे समय तक श्री कैलाश चन्द्र खटीक का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.02.18 से

अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया गया। लम्बे समय तक अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री खटीक सेन्टर की वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। साथही लम्बे समय से नियंत्रित वस्तु का उठाव एवं वितरण का कार्य नहीं करने के कारण वितरण व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। अतः लम्बे समय तक कार्य नहीं करने से, नाही कोई अपना जवाब प्रस्तुत करने से दिया गया प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश वैध हैं एवं अपीलार्थी द्वारा जो कृत्य किया गया है, उससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दण्डित भी कर दिया गया हैं। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित सूचना के अनुसार अपीलार्थी का चाल चलन भी अच्छा नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी को खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली से रिपोर्ट मांगी गई। उपखण्ड अधिकारी मावली की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली से अपीलार्थी को 3 साल की कारावास व 2500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं। जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में की गई हैं। जहॉ से वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर जाहीर होता है कि अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक मावली की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.04.16 को जारी किया गया। जिसको अपीलार्थी के भाई रमेश चन्द्र खटीक द्वारा प्राप्त किया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी लम्बे समय तक अपीलार्थी अथवा उसके किसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर अपने आदेश दिनांक 22.02.18 से प्राधिकार पत्र खारीज किया गया। सेन्टर की वितरण व्यवस्था लम्बे समय तक अस्थायी रूप से कराया जाना भी न्यायोचित नहीं हैं। भारतीय दण्ड संहिता की जिन धाराओ में अपीलार्थी

के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण पंजीकृत हुआ है एवं साबित होकर तीन वर्ष की सजा व 2500 रूपये के अर्थदण्ड से न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली द्वारा दण्डित किया गया हैं। जिससे प्रथम दृष्ट्या भी अपीलार्थी का चाल चलन अच्छा नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.16 से भी दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित मुल्य दुकानदार के पात्र व्यक्ति का चालचलन अच्छा होना चाहिये। जिसका अपीलार्थी मे पुर्णतया अभाव पाया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुसार बने नियमो के तहत ही राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाता हैं। उचित मुल्य दुकान चलाने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं नाही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को निर्दोष साबित किया गया हैं। लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने एवं सेन्टर की वितरण व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये अपीलार्थी का जो प्राधिकार पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.02.18 से निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता या कानुनी प्रावधानो की अनदेखी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना पाया जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर